राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या - 5574/2020

हनुमान राम (मृतक) पुत्र श्री किशना राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम छुई, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान को अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से:

1/1 भंवरी देवी पत्नी स्वर्गीय हनुमान राम,

1/2 सुनील पुत्र स्वर्गीय हनुमान राम,

1/3 अनिल पुत्र स्वर्गीय हनुमान राम,

सभी गांव चूई, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान के निवासी।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार, पुलिस अधीक्षक अजमेर, जिला अजमेर (राजस्थान) के माध्यम से।

---- प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री तनवीर अहमद, श्री मनीष परिहार के साथ
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री राजेश महर्षि, एएजी के लिए श्री उदित शर्मा, सुश्री किंजल सुराणा के साथ

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

आदेश

आदेश आरक्षित करने की तिथि	::	05.09.2023
आदेश उच्चारित करने की तिथि	::	03.10.2023

रिपोर्टेबल

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका दायर की गई है:

> "1. अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करने के दिनांक 27.02.2020 (अनुलग्नक 1) के आक्षेपित आदेश को मनमाना और अवैध घोषित किया जाए और तदनुसार रद्द किया जाए और आगे प्रतिवादियों को न्याय के

हित में सभी परिणामी लाभों के साथ हेड कांस्टेबल के पद पर अपीलार्थी की सेवाओं को बहाल करने का निर्देश दिया जाए।

2. कोई अन्य उचित आदेश, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सही और उचित पाया जाए, अपीलार्थी के पक्ष में पारित किया जाए।

3. रिट याचिका की लागत अपीलार्थी के पक्ष में दी जाए।''

<u>अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुतियां:</u>

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि प्रावधानों का पालन किए बिना और राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (संक्षेप में '1958 के नियम') के नियम 16/17 के तहत कोई जांच किए बिना, अपीलार्थी को सेवा से हटा दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 04.02.2020 को हुई एक कथित घटना के लिए, जिसमें से एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और केवल उक्त ऑडियो क्लिप के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा कार्रवाई की गई है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने 1958 के नियमों के नियम 19 (ii) के तहत निहित शक्तियों का उपयोग किया है, लेकिन संतुष्टि का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है, कि 1958 के नियमों के नियम 16, 17 और 18 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना यथोचित रूप से व्यावहारिक क्यों नहीं था। अधिवक्ता ने कहा कि इसी घटना के लिए एक हेड कांस्टेबल प्रसन्न कथाथ को निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि, अपीलार्थी के मामले में, प्रत्यर्थी ने उसके साथ भेदभाव किया था और उसके खिलाफ आदेश पारित किया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश पारित करते समय प्रत्यर्थी ने इस तथ्य को दर्ज किया है कि बजरंग सिंह, ओम प्रकाश और कैलाश कुमार को ऑडियो क्लिप की आपूर्ति करके अपीलार्थी की आवाज का परीक्षण किया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त बजरंग सिंह कथित घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था, बल्कि वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन कुछ प्रशिक्षण ले रहा था और अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश मान्य नहीं है और इसे रद्द किया जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

1. **भीन्या राम बनाम राजस्थान सरकार (एकल न्यायाधीश सिविल रिट याचिका संख्या 5669/2021) जिसे राजस्थान सरकार और अन्य बनाम भीन्या राम (डी.बी.एस.पी.एल. आवेदन रिट संख्या 848/2022)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा बरकरार रखा गया है।

2. **बिहारी लाल गुप्ता बनाम राजस्थान सरकार और अन्य (एकल न्यायमूर्ति सिविल रिट याचिका संख्या 1084/1996) 2002 (1) डब्ल्यूएलसी 752** में रिपोर्टिड।

3. **बद्री राम बनाम राजस्थान सरकार और अन्य (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14681/2019)।**

3. अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवेकाधिकार का उपयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है, जब प्रत्यर्थी ने समान रूप से स्थित व्यक्ति प्रसन्न कथाथ के खिलाफ जांच करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया है तो प्रत्यर्थी के लिए अपीलार्थी के मामले में भी उसी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने **सुरेंद्र कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार और अन्य (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13280/2019)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है। अधिवक्ता ने कहा किया कि इन परिस्थितियों में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

<u>प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुतियां:</u>

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को शराब और डोडा पोस्त ले जाने वाले वाहन को छोड़ने के लिए लाखों रुपये की मांग करते हुए पाया गया था। अधिवक्ता ने कहा कि उपरोक्त घटना एक ऑडियो क्लिप में रिकॉर्ड की गई थी और यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने पूरे राजस्थान सरकार में पूरे पुलिस विभाग की छवि को धूमिल कर दिया है। अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी की आवाज कैलाश कुमार, बजरंग सिंह और ओम प्रकाश नामक तीन व्यक्तियों द्वारा इस तथ्य को सत्यापित करके साबित की गई थी कि ऑडियो क्लिप में निहित आवाज अपीलार्थी की थी। अधिवक्ता ने कहा कि इन परिस्थितियों में प्रत्यर्थी द्वारा 1958 के नियमों के नियम 19 (ii) के तहत निहित

प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रसन्न कथाथ का मामला अपीलार्थी के मामले से अलग है क्योंकि उक्त प्रसन्न कथाथ की कोई आवाज दर्ज नहीं की गई थी। अधिवक्ता ने आगे कहा कि नकारात्मक इक्विटी को अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1958 के नियमों के नियम 19 (ii) के तहत निहित प्रावधानों को लागू करते हुए, अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.02.2020 के आदेश के माध्यम से एक न्यायसंगत और ठोस आदेश पारित किया गया था, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

1. **भारत सरकार और अन्य बनाम तुलसीराम पटेल, 1985 (3) एससीसी 398** में रिपोर्टिड।

2. **जसवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार और अन्य 1991 (1) एससीसी 362** में रिपोर्टिड।

3. **वेद मित्तर गिल बनाम केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, चंडीगढ़ और अन्य, 2015 (8) एससीसी 86** में रिपोर्टिड।

4. **उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य बनाम रजित सिंह (सिविल अपील संख्या 2049/2022) एआईआर 2022 एससी 1551** में रिपोर्टिड।

5. अधिवक्ता ने कहा कि ऊपर दी गई प्रस्तुतियों के मद्देनजर, अपीलार्थी किसी भी राहत पाने का पात्र नहीं है और तत्काल याचिका खारिज की जा सकती है।

<u>विश्लेषण और तर्क:</u>

6. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुना और विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

7. इस याचिका में शामिल कानूनी मुद्दा यह है कि क्या नियम, 1958 के नियम 19 (ii) के तहत निहित शक्तियों को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच से बचने के कारणों के अभाव में मृतक अपीलार्थी की संक्षिप्त बर्खास्तगी के लिए जल्दबाजी में लागू किया जा सकता था?

8. प्रत्यर्थी के बयान के अनुसार, अपीलार्थी पुलिस चेक पोस्ट झादवासा, थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात था। 04.02.2020 को उपरोक्त चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच करते समय शराब और 'डोडा पोस्त' ले जा रहे एक वाहन को रोका गया और अपीलार्थी द्वारा इस वाहन को छोड़ने के लिए लाखों रुपये की मांग की गई। इस घटना का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद, स्टेशन हाउस ऑफिसर (संक्षेप में, 'एसएचओ') नसीराबाद (अजमेर) द्वारा एक रिपोर्ट दी गई कि उक्त ऑडियो क्लिप में अपीलार्थी की आवाज को (i) कैलाश कुमार, सब इंस्पेक्टर, (ii) ओम प्रकाश, कांस्टेबल और (iii) बजरंग सिंह कांस्टेबल द्वारा पहचाना और सत्यापित किया गया था। उपरोक्त रिपोर्ट को देखने के बाद, अजमेर के पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया और अपीलार्थी की सेवाओं को 1958 के नियम 19 (ii) के प्रावधानों का सहारा लेते हुए दिनांक 27.02.2020 के आदेश के तहत समाप्त कर दिया गया। यह देखा गया कि इस मामले में नियमित जांच करना यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं था और यह पाया गया कि यह नियम, 1958 के नियम 19 (ii) के तहत अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक उपयुक्त मामला था।

9. वहीं, दूसरे हेड कांस्टेबल प्रसन्न कथाथ को भी 04.02.2020 की उपरोक्त घटना में शामिल पाया गया था, लेकिन उनके मामले में, उन्हें निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ 27.02.2020 के आदेश के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी।

10. अब इस न्यायालय को यह जांचना है कि क्या इस मामले में प्रत्यर्थी जांच को समाप्त करने में सही था और क्या वह नियम, 1958 के नियम 19 (ii) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को हटाने में सही था?

11. 1958 के नियमों का नियम 19 नियम 16, 17 और 18 के तहत निहित जांच से छूट देकर सरकारी कर्मचारी को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है, जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण लिखित में कारणों को दर्ज करके संतुष्ट होता है कि उक्त नियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।

12. उपर्युक्त उपनियम यह स्पष्ट करता है कि यह प्राधिकारी का दायित्व है कि वह लिखित रूप में अपनी संतुष्टि दर्ज करे कि ऐसी जांच करना यथोचित रूप से व्यावहारिक

क्यों नहीं होगा, जहां प्राधिकारी को किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने का अधिकार है। *शब्द "................ का अर्थ* है कि कतिपय *तथ्यात्मक परिस्थितियों* के आधार पर जांच करना व्यावहारिक नहीं है, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन मामले के लिए अपरिहार्य हैं। "यथोचित" शब्द आगे इंगित करता है कि यह पूरी तरह से अव्यावहारिकता का मामला नहीं है, लेकिन प्रासंगिक तथ्यात्मक स्थिति का उचित दृष्टिकोण लेने के बाद जांच आयोजित करना व्यावहारिक नहीं है। तथापि, जिस बात पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है वह यह है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अनुशासनात्मक जांच से मुक्त करने के लिए लिखित में अपना कारण बताना चाहिए जिसका उस व्यक्ति पर अमिट प्रभाव पड़ेगा जिसे बिना किसी जांच के हटा दिया जाता है, सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है या रैंक में कम कर दिया जाता है। दर्ज किए गए कारणों को उपस्थित परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो जुर्माना लगाने से पहले प्राधिकरण के लिए जांच करना यथोचित रूप से अव्यवहारिक बना देगा।

13. अपवाद वहां होता है जहां जांच करना अव्यवहारिक होता है और अव्यावहारिकता के कारण के रूप में लिखित में अपनी संतुष्टि दर्ज करने की जिम्मेदारी प्राधिकारी पर होती है। नियम 19 में अंतर्निहित धारणा यह है कि सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति की बर्खास्तगी, निष्कासन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए या उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं किया जाना चाहिए। उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को साबित करने की सीमा सभी मामलों में अधिक है, लेकिन विशेष रूप से 1958 के नियमों के नियम 19 (ii) में बढ़ाई गई है। संक्षेप में, मानदंड से हटने के कारणों को दर्ज करने के संवैधानिक दायित्व का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। संवैधानिक जनादेश के आगे झुके बिना शक्ति का उपयोग दंड के आदेश को शून्य बना देगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत सरकार बनाम तुलसीराम पटेल (1985) 3 एससीसी** 398 के मामले में भी यही निर्णय लिया है।

14. विवादित आदेश पारित करते समय, प्रत्यर्थी का विचार था कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियम 19 (ii) को लागू करके अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम था और जांच करना "यथोचित व्यावहारिक" नहीं था। इस बारे में कोई स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं है कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने नियम 19 (ii) को सही ढंग से

लागू किया था और क्या शक्ति को लागू करने का कारण लिखित रूप में दर्ज किया गया था जो जांच को समाप्त करने के लिए प्राधिकरण की ओर से संतुष्टि को सही ठहराता है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रीना रानी बनाम हरियाणा सरकार 2012 (10) एससीसी 215** में निर्णित मामले में सूचित व्यक्ति को सेवा से हटाते समय जांच से छूट देने के कारणों को दर्ज करने के महत्व पर चर्चा की है और इसे पैरा 7 में निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> "7. "बर्खास्तगी के आदेश में, पुलिस अधीक्षक ने किसी भी कारण का प्रकटन नहीं किया है कि नियमित विभागीय जांच करना यथोचित रूप से व्यावहारिक क्यों नहीं था। अपर महाधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से कहा कि बर्खास्तगी के आदेश में इस बात के कारण शामिल नहीं हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ नियमित विभागीय जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक क्यों नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें कोई अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे पता चलता कि पुलिस अधीक्षक ने यह राय बनाने के लिए कारण दर्ज किए थे कि अपीलार्थी के खिलाफ विशेष आरोप को साबित करने के लिए नियमित विभागीय जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुदेश कुमार बनाम हरियाणा सरकार और अन्य, (2005) 11 एससीसी 525** में रिपोर्टित मामले में अभिनिर्धारित किया कि अब यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत जांच एक नियम है और जांच को समाप्त करना एक अपवाद है। अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत जांच करने वाले प्राधिकरण को उन कारणों से खुद को संतुष्ट करना होगा जो दर्ज किए जाने हैं कि जांच करना यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।

17. 1958 के नियमों के नियम 19 (ii) के तहत सेवा से हटाने का आदेश पारित करने से पहले कारणों को दर्ज करने के मुद्दे से निपटते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने **भीन्या राम बनाम राजस्थान सरकार और अन्य एकल न्यायमूर्ति सिविल रिट याचिका संख्या 5669/2021** के मामले में कहा:

"बनवारी लाल (सुप्रा.) के मामले में, फिर से उप-निरीक्षक और कांस्टेबलों के एक मामले में, यह न्यायालय, यहां तक कि एक मामले में जहां कुछ कारणों का संकेत दिया गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कानून के तहत स्वीकार्य वैध कारणों पर इसकी स्थापना नहीं की गई थी, सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया।

जहां तक तुलसीराम पटेल (सुप्रा.) के मामले में निर्णय का संबंध है, इसने जांच से छूट प्रदान करने वाले प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा है, हालांकि, उक्त निर्णय में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि लिखित में संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता को दरकिनार किया जा सकता है।

वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले देखा गया है, जांच से बचने के लिए इंगित किए गए नाम के लायक कोई कारण नहीं है और अतः, कानून के स्पष्ट प्रावधानों और माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

परिणामतः, अपीलार्थिओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। दोनों रिट याचिकाओं में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 1/3/2021 के आदेश और एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 16751/2021 में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12/10/2021 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है और निरस्त किया जाता है। अपीलार्थिओं को सभी परिणामी लाभों के साथ बहाली का पात्र माना जाता है। हालांकि, प्रतिवादियों के लिए अपीलार्थिओं के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का विकल्प खुला होगा, अगर वे चाहते हैं। पिछली मजदूरी का भुगतान ऐसी जांच के परिणाम पर होगा। यदि इस तरह की कोई जांच होती है तो उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए।

18. **भिन्या राम (सुप्रा.)** के मामले में पारित उपरोक्त आदेश को सरकार द्वारा खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 848/2022 दायर करके डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी गई

थी और इसे न्यायालय द्वारा 05.04.2023 को निम्नानुसार खारिज कर दिया गया था:

> "सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (इसके बाद 'सीसीए नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 19 (2) के तहत शक्ति का उपयोग पूरी तरह से कानून के अनुसार है। कारण बताओ नोटिस की सामग्री और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, जिसके आधार पर सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, हमारे समक्ष यह जोरदार तर्क दिया जाता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण का आदेश 01.03.2021 को पारित किया गया था और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 10.10.2021 को आदेश पारित किया गया था। एक व्यापक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रकट करता है, कि ऐसे कारण मौजूद थे कि प्राधिकरण ने पाया कि नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।
>
> हमने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया है।
>
> सीसीए नियमों के नियम 19 (ii) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, विशेष प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने न केवल दिनांक 01.03.2021 के आक्षेपित आदेश की जांच की है, बल्कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रशासनिक पक्ष की प्रासंगिक फाइलों की भी जांच की है।
>
> दिनांक 01.03.2021 के आदेश को शाब्दिक रूप से पढ़ने पर, हमारा स्पष्ट विचार है कि यह आदेश, किसी भी तरह से, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए संतुष्टि पर पहुंचने की कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है कि नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं है। इसमें केवल एक निष्कर्ष शामिल है

जो कानून के तहत अनिवार्य कारणों का गठन करने वाली किसी भी सामग्री से रहित है।

एकल न्यायाधीश ने प्रशासनिक फाइलों को भी देखा है और एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि रिकॉर्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है और इसके बजाय जांच को समाप्त करने के कारणों के बारे में एक शब्द भी इंगित नहीं किया गया है। सुदेश कुमार, तरसेम सिंह और रीना रानी के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जांच समाप्त करने का निर्णय सीसीए नियमों के नियम 19 (ii) में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों के खिलाफ हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती।

अत:, अपील बिना किसी आधार के हैं और खारिज की जाती हैं।

19. आक्षेपित आदेश पारित करने का एकमात्र कारण यह है कि शराब/डोडा पोस्ट वाहन को छोड़ने के लिए लाखों रुपये की मांग करने वाले अपीलार्थी की आवाज वाली ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और अपीलार्थी की आवाज को तीन पुलिस अधिकारियों द्वारा पहचाना और सत्यापित किया गया।

20. अब इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आता है वह यह है कि क्या ऑडियो क्लिप प्रामाणिक थी और उसमें छेड़छाड़ या परिवर्तन किए जाने का कोई तत्व नहीं था? यदि अधिकारियों ने पहले ऑडियो क्लिप की सत्यता या प्रामाणिकता का पता लगाने की कवायद की होती, तो उक्त ऑडियो क्लिप में दिखाए गए आरोपों के सच होने के संबंध में उस पर आधारित कोई तर्क नहीं होता। ऑडियो क्लिप भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 (संक्षेप में, 'साक्ष्य अधिनियम') के तहत "दस्तावेज़" के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों और अभिव्यक्तियों के भीतर आएगा और ऑडियो क्लिप के साक्ष्य मूल्य की उसी तरह जांच करनी होगी जैसे किसी दस्तावेज़ की जांच की

जाती है। यह कानून का सर्वविदित सिद्धांत है कि दस्तावेज मौखिक साक्ष्य की तुलना में कहीं बेहतर सबूत प्रदान करेंगे, बशर्ते दस्तावेजों की प्रामाणिकता सवाल से परे हो। अतः, यदि किसी दस्तावेज की वास्तविकता के संबंध में कोई संदेह है, तो इसका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं होगा, जब तक कि इसकी पुष्टि न की जाए।

21. इस मामले में, प्रत्यर्थी ने 04.02.2020 को उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए दो अलग-अलग मानदंडों का उपयोग किया है। 04.02.2020 को हुई घटना के लिए, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को बिना किसी जांच के हटा दिया है, जबकि इसी तरह के व्यक्ति प्रसन्न कथाथ के मामले में, उसे निलंबित कर दिया गया था और उसके खिलाफ घरेलू जांच शुरू की गई थी। इस संबंध में दोनों आदेश पुलिस अधीक्षक, अजमेर द्वारा उसी दिन अर्थात 27.02.2020 को पारित किए गए थे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सह-अपराधियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए बार-बार यह व्यवस्था दी गई है। सह-अपराधियों के बीच समानता के इस मुद्दे पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राजेंद्र यादव बनाम मध्य प्रदेश सरकार और अन्य** के मामले में फैसला सुनाया। **(2013) में दी गई रिपोर्ट 3 एससीसी** 73 ने पैरा 9 से 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

> "9. समानता का सिद्धांत उन सभी पर लागू होता है जिन्हें समान रूप से रखा गया है; यहां तक कि उन व्यक्तियों के बीच भी जो दोषी पाए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को दोषी पाया गया है, वे संव्यवहार की समानता का दावा भी कर सकते हैं, यदि वे सजा देते समय भेदभाव स्थापित कर सकते हैं जब वे सभी एक ही घटना में शामिल होते हैं। जब सजा दी जा रही हो तो सह-अपराधियों के बीच समानता भी बनाए रखी जानी चाहिए। सह-अपराधियों की भागीदारी की तुलना करते समय सजा असंगत नहीं होनी चाहिए जो एक ही लेनदेन या घटना के पक्षकार हैं। अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसी सजा नहीं दे सकता है जो असंगत हो, अर्थात् गंभीर अपराधों के लिए कम सजा और कम अपराधों के लिए कड़ी सजा हो।
>
> 10. ऊपर वर्णित सिद्धांत इस न्यायालय के कुछ निर्णयों में लागू होता है। सबसे पहले **पुलिस महानिदेशक और अन्य बनाम जी. दासयान हैं** (1998) 2 एससीसी 407 है जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल, एक दसायन,

दो अन्य कांस्टेबलों और एक हेड कांस्टेबल पर कदाचार के समान कृत्यों के लिए आरोप लगाया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने दो अन्य कांस्टेबलों को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन दासयान को सेवा से बर्खास्त करने और हेड कांस्टेबल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी। इस न्यायालय ने न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सह-अपराधियों के बीच सजा में समानता के सिद्धांत को लागू करते हुए दासयान पर सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को प्रतिस्थापित किया। इस न्यायालय ने माना कि अन्यथा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है।

11. **शैलेश कुमार हर्षद भाई शाह मामले (सुप्रा.)** में, कामगार को कदाचार साबित होने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, कुछ अन्य कामगारों, जिनके खिलाफ समान आरोप थे, को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि कामगार के साथ भी समान व्यवहार किया जाए और उसे उसी महीने से सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जाए जिस महीने दूसरों को लाभ दिया गया था।

12. हमारा विचार है कि उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू होगा। हमने पहले ही संकेत दिया है कि सह-अपराधी अर्जुन पाठक को तुलनात्मक रूप से कम सजा देने वाली अनुशासनात्मक प्राधिकरण की कार्रवाई और साथ ही, अपीलार्थी को कठोर सजा देने की कानून में अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वे सभी एक ही घटना में शामिल थे। परिणामतः, हम अपीलार्थी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी की सजा को रद्द करके अपील की अनुमति देने के इच्छुक हैं और आदेश देते हैं कि उसे तुरंत सेवा में बहाल किया जाए। अतः, अपीलार्थी को उस तारीख से फिर से पेश किया जाना चाहिए जिस दिन अर्जुन पाठक को फिर से नियुक्त किया गया था और अर्जुन पाठक

को दिए गए सभी परिणामी लाभ दिए जाएं। तदनुसार आदेश दिया जाता है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

22. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी और सह-अपराधी प्रसन्न कथाथ के मामले में भेदभाव किया है और कारणों को दर्ज किए बिना अपीलार्थी के खिलाफ आदेश पारित किया गया था।

23. किसी भी परिस्थिति में, भारी सबूतों की उपलब्धता जांच को समाप्त करने का एक आधार हो सकता है, लेकिन किसी भी मामले में, यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में भी, अधिक से अधिक, साक्ष्य की उपलब्धता, जो प्रत्यर्थी के अनुसार भारी थी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा विवादित थी, भी जांच से बचने के आधारों में से एक है। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त ऑडियो क्लिप के आधार पर अपीलार्थी द्वारा पैसे की मांग के बारे में एक अनुमान लगाया गया है, इसकी सत्यता और स्वीकार्यता का कोई सबूत नहीं है या कोई पुष्टि करने वाला सबूत नहीं है।

24. 1958 के नियमों के नियम 16, 17 और 18 के तहत निहित कोई भी जांच और प्रक्रिया किए बिना, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा 1958 के नियमों के नियम 19 (ii) के तहत निहित अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सेवा से हटा दिया गया है। इस तथ्य का विवादित प्रश्न कि ऑडियो क्लिप में अपीलार्थी की आवाज थी या नहीं, उसके खिलाफ जांच करने के बाद साबित या अस्वीकृत किया जा सकता था और प्रत्यर्थी को सच्चाई का पता लगाने के लिए अपीलार्थी के खिलाफ जांच करनी चाहिए थी।

25. अतः, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ जांच को समाप्त करने के लिए कोई योग्य कारण दर्ज नहीं किया गया है और अतः, कानून के स्पष्ट प्रावधानों और माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के मद्देनजर, प्रत्यर्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जा सकता है।

26. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस तरह के आदेश को रद्द करने के प्रभाव से प्रत्यर्थी को सह-अपराधी प्रसन्न कथाथ की तरह अपीलार्थी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, अगर वे चाहते हैं, लेकिन चूंकि अपीलार्थी की मृत्यु इस याचिका के लंबित रहने के दौरान हो गई है और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर

लिया गया है। अतः, इन परिस्थितियों में किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई विभागीय जांच नहीं की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बासुदेव तिवारी बनाम सिदो कान्हू विश्वविद्यालय और अन्य** 1998 (8) एससीसी 194 में रिपोर्टित मामले में पैरा 13 और 14 में इस तरह की स्थिति से निपटा है:

> "13. "इस मामले में अपीलार्थी को उसकी नियुक्ति को अनियमित या अनधिकृत मानने और उसकी सेवा समाप्त करने का आदेश देने से पहले नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
>
> 14. इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो गई है, अतः आगे की जांच या बहाली के बारे में कोई और निर्देश नहीं दिया जा सकता है। हम घोषित करते हैं कि हमारे द्वारा संदर्भित अधिसूचना के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की सेवा समाप्ति अमान्य है। परिणामतः, यह माना जाएगा कि अपीलार्थी की मृत्यु दोहन में हुई थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थी अपने द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर अपनी सेवाओं की समाप्ति की तारीख से अपनी मृत्यु की तारीख तक बकाया वेतन के भुगतान का पात्र हो जाएगा। प्रत्यर्थी आज से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलार्थी को उसकी बर्खास्तगी की तारीख से उसकी मृत्यु तक बकाया राशि का भुगतान करने की कार्रवाई करे और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को इसका भुगतान करे।"

<u>निष्कर्ष:</u>

27. परिणामतः, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और 27.02.2020 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है।

28. चूंकि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो गई है, अतः आगे की जांच या बहाली के बारे में कोई और निर्देश नहीं दिया जा सकता है। यह न्यायालय अपीलार्थी के निष्कासन आदेश को अमान्य घोषित करता है। परिणामतः, यह माना जाएगा कि अपीलार्थी की मृत्यु दोहन में हुई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि

अपीलार्थी अपने द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर अपनी सेवाओं की समाप्ति की तारीख से अपनी मृत्यु की तारीख तक बकाया वेतन के भुगतान का पात्र हो जाएगा।

29. प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी की सेवा समाप्ति की तारीख से मृत्यु तक उसके वेतन के बकाया का भुगतान करे और अपने कानूनी प्रतिनिधियों को सभी टर्मिनल लाभों का भुगतान करे।

30. इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए।

31. सभी आवेदन (यदि कोई लंबित हैं) का निपटान किया जाता है।

32. पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

KuD/56/pcg

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।